



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125142

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विवध जमानत आवेदन संख्या - 9403 सन् 2026

जीशान उर्फ दिशान

.....आवेदक/याचिकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : राम कुमार दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार दुबे की ओर से पेश हुए श्री अधिवक्ता रविन्द्र सिंह, तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 31 सन् 2026, थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के कब्जे से 1200 ग्राम चरस बरामद होना कहा गया है, तथापि, यह निवेदन किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि यद्यपि कथित बरामदगी एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना दर्शाया गया है, तथापि, बरामदगी की मेमो पर हस्ताक्षर नहीं पाया गया है। आवेदक दिनांक 07.02.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा आवेदक का चार मामलों का आपराधिक इतिहास है जिन्हें स्पष्ट किया गया है तथा उसका एन.डी.पी.एस. एक्ट का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मुकदमों की अत्यधिक लंबितता को देखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया गया है तथा यह निवेदन किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया है तथा कथित बरामदगी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की गई है परन्तु राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर बरामदगी की मेमो पर नहीं पाए गए हैं।



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 1200 ग्राम चरस बरामद होना कहा गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, यद्यपि कथित बरामदगी एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना दर्शाया गया है परन्तु राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर बरामदगी की मेमो पर नहीं पाए गए हैं। आवेदक दिनांक 07.02.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा आवेदक का चार मामलों का आपराधिक इतिहास है जिन्हें स्पष्ट किया गया है।

6. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 37 के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी, 2007 (7) एस.सी.सी. 798** में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक- **जीशान उर्फ दिशान** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं के प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) विचारण के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अंकित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिन तिथियों पर साक्ष्य हेतु साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उन तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

2 जून, 2026

इम्तियाज़

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।